

क्रमांक- 3431487/अभिप्र/18  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भटन,  
तुलसी नगर, भोपाल-462003  
दूरभाष- 2552646, 2552878 फेक्स 2552406  
Email- encwrbpl@mp.nic.in

प्रति,

भोपाल, दिनांक 08.2018

समस्त मुख्य अभियंता

जल संसाधन विभाग

विषय:-परियोजनाओं के निर्माण कार्य के अंतर्गत 10 प्रतिशत के अतिरिक्त आयटमों की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भ:-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 34410102/15/भोपाल दिनांक 25.03.2015, 19.06.2015, 23.06.2016, 06.04.2018

--00--

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों (सहपत्रित) के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देशों के निरंतर प्रदाय करने के उपरांत भी इस कार्यालय में परियोजनाओं के निर्माण कार्य से संबंधित अनुबंध के अन्तर्गत उद्भूत अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त आयटम एवं सल्लटीद्यूट आयटम के स्वीकृति प्रकरणों में कार्यालयीन परीक्षण के दौरान अनेक विसंगतियां पाई जा रही हैं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अभियंता कार्यालय में प्रकरणों का शासन के दिशा निर्देशों के तहत समुचित परीक्षण नहीं किया जाकर मात्र खानापूर्ति की जा रही है। यह स्थिति कदापि अपेक्षित नहीं है ।

अतः पुनः निम्न निर्देशों का समग्र अध्ययन करें एवं तदनुसार ही प्रकरण प्रेषित करना सुनिश्चित करें :-

1. संबंधित अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री को पत्र 212, 215 एवं 216 में सही जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दें । मुख्य अभियंता कार्यालय में संधेचित परीक्षण किया जावे । (सहपत्रित)
2. निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त आयटम एवं सल्लटीद्यूट आयटम संपादन की अपरिहार्य स्थिति निर्मित होने की दशा में अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता की पूर्ण अनुमति आवश्यक है । यह स्थिति अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता के निरीक्षण आदि के दौरान निर्मित हो सकती है । अतः इन निरीक्षण प्रतिवेदनों का भी उल्लेख एवं संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें ।
3. अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त आयटम एवं सल्लटीद्यूट आयटम आदि का प्रकरण उद्भूत न हो, इसके लिए योजना का प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव का विस्तृत परीक्षण करने के उपरांत ही भेजा जाना सुनिश्चित किया जावे ।
4. अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त आयटम एवं सल्लटीद्यूट आयटम के वृद्धि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुबंध की प्रावधानों तथा संबंधित माप पुस्तिका में दर्ज मापों के आधार पर ही तैयार किया जाना सुनिश्चित करें । मूल क्लर्किंग एवं माप पुस्तिका के आधार पर प्रत्येक घटक की संपादित मात्राओं का पत्रक (Variation statement) तैयार कर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे । इस आशय का प्रमाण पत्र आपके स्तर से संलग्न किया जावे कि अनुबंध के अंतिम किये जाने तक भी इन मात्राओं में कोई वृद्धि नहीं होगी ।
5. अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त आयटम एवं सल्लटीद्यूट आयटम के प्रकरणों में प्रावधानित मात्रा के संपादन में सुनिश्चित कर लिया जावे कि कार्य संपादन विभागीय दिशा निर्देशों / आईएस कोड आदि के अनुपालन में किया गया है ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें जिससे निराकरण में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति न हो । उक्तानुसार निर्देशों के तहत प्रकरण प्राप्त न होने की दशा में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जावेगी । कृपया अधीनस्थों को आपके स्तर से भी कड़ाई से पालन हेतु निर्देश जारी करें ।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार

हस्ता -

(राजीव कुमार सुकलीकर)

प्रमुख अभियंता

जल संसाधन विभाग म.प्र.

भोपाल, दिनांक 08.08.2018

पृ.क.

प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधीक्षण यंत्री \_\_\_\_\_
2. समस्त कार्यपालन यंत्री \_\_\_\_\_

बैब मैनेजर, जल संसाधन विभाग की ओर विभागीय बैबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।

(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियंता

Extra qty

भोपाल, दिनांक 25/03/2015

प्रति,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग

1. नर्मदा ताप्ती कछार, इन्दौर।
2. राजघाट नहर परियोजना दतिया।
3. यमुना कछार ग्वालियर।
4. चंबल बेतवा कछार भोपाल।
5. जल संसाधन विभाग होशंगाबाद।
6. बैनगंगा कछार, सिवनी।
7. घसान केन कछार सागर,
8. गंगा कछार रीवा।

विषय—

परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक बड़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटम की स्वीकृति प्रस्ताव बाबत।

—0—

विभाग के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्य के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक बड़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटम की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं। जिनमें विभिन्न प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं।

अतः अनुरोध है कि निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न कर मुख्य अभियंता, अपने कार्यालय स्तर पर प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर (जी शेड्यूल) दर एवं लागत के प्रमाण पत्र स्पष्ट अनुशांसा सहित आवश्यक दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर सहित प्रस्ताव भिजवाने का कष्ट करे। जिससे प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण किया जाना संभव हो सके।

1. चैक लिस्ट।
2. एजेण्डा नोट।
3. अतिरिक्त मात्रा का प्रकरण प्रपत्र (17 कालम) का०यं०/अ०यं०/मु०अ० द्वारा हस्ताक्षरित।
4. अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियंता का स्थल निरीक्षण एवं भूगर्भ-वैज्ञानिक का अभिमत (यदि आवश्यक हो तो) एवं निरीक्षण प्रतिवेदन।
5. अनुबंध की सत्यापित प्रति।
6. तकनीकी स्वीकृति/पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की प्रति।
7. उक्त विषयान्तर्गत यदि ठेकेदार को भुगतान किया गया है तो वरिष्ठ कार्यालय/शासनादेश के निर्देशों की प्रति।
8. प्रकरण किस नियम के तहत इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है, विभागीय नियमावली की कंडिका सहित।

पत्र:—0



(एम०जी०चौवे)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, भोपाल

क्रमांक 34410102/2015  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल ससाधन विभाग, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19/6/2015

प्रति,

मुख्य अभियंता, जल ससाधन विभाग,

1. नर्मदा ताप्ती कछार, इंदौर
2. राजघाट नहर परियोजना दतिया
3. यमुना कछार, खालियर
4. चंबल बेतवा कछार, भोपाल
5. जल ससाधन विभाग, होशंगाबाद
6. बैनगंगा कछार, सिवनी
7. धसान केन कछार, सागर
8. गंगा कछार, रीवा

विषय:-

परियोजना के निर्माण कार्य के अंतर्गत 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटम की स्वीकृति बाबत ।

संदर्भ:-

कार्यालयीन समसंख्यक पत्र दिनांक 25.3.2015 एवं 20.4.2015

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जिनके माध्यम से स्पष्ट दिशा

निर्देश दिए जाने के पश्चात भी विभाग के अंतर्गत परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान

अनुबंधित कार्य से 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटमों की

स्वीकृति हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को अपेक्षा अनुरूप प्राप्त नहीं हो रहे, जिससे इनके

निराकरण में अनावश्यक विलंब हो रहा है ।

अतः संदर्भित पत्र की छायाप्रति पुनः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि


सम्बन्धित बिंदुओं का समावेश कर बढ़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटम हेतु न्याय संगत

मान्य तकनीकी कारणों का उल्लेख कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित

करें ।

सहपत्र:-

उपरोक्तानुसार

  
19.6.15

(एम.जी.चोबे)

प्रमुख अभियंता  
जल ससाधन विभाग, भोपाल

प्रति,

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग

1. नर्मदा तारसी कछार, इन्दौर।
2. राजघाट नहर परियोजना दतिया।
3. यमुना कछार ग्वालियर।
4. चंबल बेतवा कछार भोपाल।
5. जल संसाधन विभाग होशंगाबाद।
6. बैनगंगा कछार, सिदनी।
7. घसान केन कछार सागर।
8. गंगा कछार रीवा।

विषय- परियोजना के निर्माण कार्य के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटम की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव प्रेषित करने के संबंध में।

- सन्दर्भ- 1. कार्यालयीन पत्र क्र. 34410102/2015/भोपाल/दिनांक 25.03.2015, 19.06.2015, 19.08.15, एवं दिनांक 19.01.2016.
2. शासन का आदेश क्र. 4214/2/एम.ए.एस./31/भोपाल दिनांक 28.08.2015.

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। परियोजना के निर्माण के अन्तर्गत 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ी हुई मात्राओं एवं अतिरिक्त आयटम की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के संबंध में संदर्भित पत्रों के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश दिये जाने के पश्चात भी इस ओर ध्यान न दिया जाकर अपूर्ण प्रस्ताव बिना आपके कार्यालय स्तर पर परीक्षण के इस कार्यालय में प्रेषित किये जा रहे हैं। जिससे प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक खिलम हो रहा है। इन प्रकरणों की समीक्षा में अपूर्ण प्रस्ताव पाये जाने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई है। यह भी देखने में आ रहा है कि कार्यपालन यंत्रों द्वारा वांछित जानकारी बिना अधीक्षण यंत्री/मुख्य अभियन्ता की अनुमति के इस कार्यालय को प्रेषित की जाती है। उक्त परिपेक्ष्य में इस कर्मालय से जारी दिशा निर्देश पत्रों एवं प्रपत्रों की छायाप्रति पुनः संलग्न प्रेषित हैं।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि इस संबंध में अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्रों से प्राप्त प्रस्ताव को सूक्ष्म परीक्षण (अनुबंध में दी गई धारा जैसे 4.3.13.3 ए एच सी चा 21.1ए.बी.सी एवं डी के अनुसार दर एवं मात्रा का अपने कार्यालय में परीक्षण कराकर, अर्द्ध और अधिक मात्रा में नहीं बढ़ेगी इसका प्रमाण पत्र तथा प्रस्ताव का परीक्षण इस कार्यालय में अनुबंध की धारा के अनुसार किया गया, इस बाबत प्रमाण पत्र एवं मात्राये बढ़ने के ठोस कारणों एवं अतिरिक्त आयटम की स्थिति में क्लियर विवरण, विस्तृत एजेन्डा तैयार किया जाकर स्पष्ट अभिमत सहित संरचना अन्तर्गत लंबित प्रस्तावों को शीघ्र शासन द्वारा आवेदित दिनांक 28.08.2015 में प्रस्तुत अधीकारवा सीमा अनुसार इस कार्यालय में प्रेषित करने की कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार।

पत्रांक 34410102/2015

प्रतिलिपि,

1. समस्त अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्रों, जल संसाधन विभाग वेब साईड माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वेब मैनेजर, डाटा सेंटर कोलार रेस्ट हाउस के लिये भोपाल की ओर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

सहपत्र- उपरोक्तानुसार।

(एम०जी०चौबे)

प्रमुख अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल

भोपाल दिनांक 23/06/2016

(एम०जी०चौबे)

प्रमुख अभियन्ता,

जल संसाधन विभाग, भोपाल

क्रमांक 344/10102/विज्ञान/2015

कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,  
तुलसी नगर, भोपाल-462003  
दूरभाष-2552646, 2552878 फेक्स 2552408  
Email-encwrbpl@mp.nic.in

भोपाल, दिनांक 6/04/2018

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता  
जल संसाधन विभाग

विषय:- अतिरिक्त मात्रा एवं अतिरिक्त आयटम के प्रकरण प्रस्तुत करने के संबंध में ।

—00—

विषयान्तरित आपके द्वारा निर्माण कार्य से संबंधित अनुबंध के संपादन के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त मात्रा एवं अतिरिक्त आयटम के प्रकरणों का कार्यालयीन परीक्षण के दौरान विसंगतियां पाई जा रही हैं । इस कारण से इनके निराकरण में विलम्ब होता है एवं बार-बार आपसे पृच्छा की स्थिति निर्मित होती है । शासन स्तर पर परीक्षण में भी ऐसी विसंगतियां इंगित की जाती है एवं अप्रिय स्थिति निर्मित होती है । उक्त परिप्रेक्ष्य में भविष्य में अतिरिक्त मात्रा एवं अतिरिक्त आयटम के प्रकरण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें :-

1. निर्माण कार्य के दौरान अतिरिक्त मात्रा, अतिरिक्त आयटम एवं वैकल्पिक कार्यों (Substitute Item) के संपादन की अपरिहार्य स्थिति निर्मित होने की स्थिति में मुख्य अभियंता की पूर्व अनुमति आवश्यक है ।
2. निर्माण कार्य के दौरान अनुबंध में प्रावधानित मात्रा में वृद्धि होने अथवा अतिरिक्त आयटम के उत्पन्न होने की स्थिति निर्मित होने की जबाबदेही मैदानी अधिकारियों की होगी । इस हेतु परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रस्ताव में ही समुचित सजगता एवं सावधानी बरती जावे, ताकि यह स्थिति निर्मित न हो ।
3. अतिरिक्त मात्रा एवं अतिरिक्त आयटम के वृद्धि की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुबंध से संबंधित मापपुस्तिका में दर्ज मापों के आधार पर ही तैयार किया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं इस आशय का प्रमाण पत्र भी वरिष्ठ कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे ।
4. उपरोक्त स्थिति निर्मित न हो, अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि परियोजना की डी.पी.आर. प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के पूर्व समस्त मू-गर्भोय अन्वेषण पूर्ण किये जावे एवं उसके आधार पर ही आकलन किया जावे, जिससे निर्माण कार्य के दौरान ऐसी स्थिति निर्मित होने की संभावना न रहे ।
5. परियोजना के विभिन्न अवयवों के रूपांकन, रेखांकन एवं विस्तृत प्राकल्पन तैयार करते समय यह विशेष ध्यान रखा जावे कि समस्त अभिलेख प्रचलित विभागीय तकनीकी परिपत्रों एवं आई.एस.कोड्स आदि पर ही आधारित हो ।

उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जावे । अन्यथा की स्थिति में यदि किसी प्रकरण में मैदानी अधिकारियों द्वारा निर्देशों की अवहेलना एवं जानबूझकर त्रुटिपूर्ण अतिरिक्त आयटम/अतिरिक्त मात्रा का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी ।

कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को भी आप अपने स्तर से कड़ाई से निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

*Ramvir 6/4/18*  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, म.प्र.

मोपाल, दिनांक 06/04/2018

पृ. क्रमांक-344101021 दिनांक 06/04/2018  
प्रतिलिपि:-

1. समस्त अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन विभाग
2. समस्त कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।  
वेब मैनेजर, विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित हेतु ।

*Ramvir 6/4/18*  
(राजीव कुमार सुकलीकर)  
प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, म.प्र.

①  
ISSUED  
6/4/18

से संबंधित कार्य के संबंध में मुख्य जानकारी की संक्षेपिका

कार्य का नाम

- निविदा की राशि - रु. \_\_\_\_\_ लाख

संयोजित दर सूची

- यू.एस.आर. \_\_\_\_\_ दर अनुसूची

इकितने प्रतिशत अधिक या कम

शेफेदार का नाम

अनुबंध की राशि

- रु. \_\_\_\_\_ लाख

अतिरिक्त मात्रा उद्भूत होने कारण

7. उपरोक्त दरों से मात्रा में वृद्धि के कारण राशि में वृद्धि-

रु. \_\_\_\_\_ लाख

8 प्रतिस्थापित / अतिरिक्त आइटम उद्भूत होने के कारण -

9 विलोपित आइटम (यदि है तो)

कुल बचत रु. \_\_\_\_\_ लाख

10 मात्राओं की कमी (यदि है तो)

उपरोक्त आइटमों में संभावित बचत की राशि

रु. \_\_\_\_\_ लाख

11 अनुसार शुद्ध राशि - अतिरिक्त मात्रा - रु. \_\_\_\_\_ लाख

- प्रतिस्थापित आइटम - रु. \_\_\_\_\_ लाख

- विलोपित आइटम - रु. \_\_\_\_\_ लाख

- मात्राओं की कमी - रु. \_\_\_\_\_ लाख

शुद्ध वृद्धि - रु. \_\_\_\_\_ लाख



अतिरिक्त मात्रा एवं अतिरिक्त आयतम की स्वीकृति हेतु जानकारी

1. कार्य का नाम —
2. प्राक्कलन की राशि
3. ठेकेदार का नाम
4. अनुबंध क्रमांक एवं राशि—
5. प्रशिक्षण अधिक/कम

6. अनुबंध की धारा जिस पर प्रस्ताव प्रेषित है—

| क्र. सं. | आवृत्त का विवरण | वस्तु/सहित | अनुबंधित मात्रा |    |      | कार्य पूर्णता की अनुमानित |    |      | अनुबंधित मात्रा से 10 प्रतिशत तक की मात्रा |    |      | अनुबंधित मात्रा + 10 प्रतिशत के अधिक मात्रा |    |      | अनुबंधित मात्रा से अतिरिक्त राशि (14+15) | अनुबंधित मात्रा से अतिरिक्त राशि (16+17) | अनुबंधित मात्रा से अतिरिक्त राशि (18+19) | अनुबंधित मात्रा से अतिरिक्त राशि (20+21) |
|----------|-----------------|------------|-----------------|----|------|---------------------------|----|------|--|----|------|---|----|------|--|--|--|--|
|          |                 |            | मात्रा          | दर | राशि | मात्रा                    | दर | राशि | मात्रा                                     | दर | राशि | मात्रा                                      | दर | राशि |  |  |  |  |
| 1        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 2        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 3        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 4        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 5        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 6        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 7        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 8        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 9        |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 10       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 11       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 12       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 13       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 14       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 15       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 16       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 17       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 18       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 19       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 20       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 21       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 22       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 23       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 24       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |
| 25       |                 |            |                 |    |      |                           |    |      |  |    |      |   |    |      |  |  |  |  |

अनुविभागीय अधिकारी

कार्यपालन संज्ञी

अधीक्षण संज्ञी

मुख्य अभियंता